फुटबाल | अंडर 15 स्टेट यूथ लीग फुटबॉल चैंपियनशिप

डायमंड रॉक बालाघाट ने 6-0 से दर्ज की आसान जीत

नवभारत, जबलपुर। मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के तत्वावधान में ग्लोबल कॉलेज ग्राउंड में खेली जा रही अंडर 15 स्टेट यूथ लीग फुटबॉल चैंपियनशिप में मंगलवार को दो मैच खेले गए। उक्त जानकारी सचिव अमित रंजन देव मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ ने बताया कि पहला मैच लायंस एफसी जबलपुर एवं डायमंड रॉक बालाघाट के बीच खेला गया।

मैच के शुरूआत से ही डायमंड रॉक ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए लॉयन्स एफसी के गोल पर आक्रमण किए और खेल के 10वें मिनट में ने पहला गोल दाग दिया। इस गोल से लॉयंस एफसी अभी संभल भी नहीं पाया था कि खेल के 25वें मिनट में डायमंड रॉक ने दूसरा और 44वें मिनट में तीसरा गोल कर दिया। लायंस एफसी ने कुछेक अच्छे आक्रमण किए और गोल करने का प्रयास किया लेकिन डायमंड रॉक की रक्षापंक्ति को भेदने में उन्हें सफलता नहीं मिली। मध्यांतर तक डायमंड रोक 3 गोल से आगे रही।

मध्यांतर के बाद दागे तीन गोल

मध्यांतर के पश्चात् खेल के 50वें मिनट में डायमंड रॉक ने चौथा, 65वें मिनट में पांचवां और 87वे मिनट में छठा गोल कर 6-0 से आसान जीत दर्ज की। लायंस एफसी गोल करने के प्रयास किए परन्तु सफलता नहीं मिली।

ये रहे निर्णायक

मैचों के निर्णायक राजेश चौहान, रवि परमार, कुलदीप सिंह, वंदना यादव, लक्ष्मी साहिस, पूनम बैगा, स्नेह सिंह, रेफरी इंचार्ज जेएल श्रीवास एवं मैच कमिश्नर पृथ्वी राज सोलंकी नीमच रहे। भोपाल के कोच अभिजीत चटर्जी एवं सांची वॉरियर्स के कोच अर्श अहिरवार रहे।

मदन महाराज भोपाल की टीम 5-2 से विजयी

दूसरा मैच सांची वॉरियर्स रायसेन एवं मदन महाराज भोपाल के बीच खेला गया। खेल के 5वें मिनट में ही सांची वॉरियर्स ने गोल कर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यह बढ़त कायम नहीं रह पायी। खेल के 40वें मिनट में भोपाल ने गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। मध्यांतर के पश्चात् खेल के 50वें मिनट में भोपाल ने दूसरा गोल एवं खेल के 55वे मिनट में तीसरा, 65वे मिनट में चौथा, 78वें मिनट में पांचवा गोल कर 5-1 की बढ़त हासिल कर ली। खेल के अंतिम क्षणों में सांची वॉरियर्स ने गोल कर बढ़त कम की, लेकिन अंत में भोपाल ने 5-2 से मैच जीत लिया।

जबलपुर के खिलाड़ियों का भाऊ साहेब निंबालकर ट्रॉफी में चयन

▶ एमपी के विभिन्न संभागों की टीमें 7 से 22 अप्रैल तक भिड़ेंगी

नवभारत, जबलपुर। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संचालित भाऊ साहेब निंबालकर (अंडर-18 बालक) ट्रॉफी का आयोजन 7 से 22 अप्रैल 2026 तक जबलपुर संभागीय क्रिकेट संघ द्वारा एमपीसीए स्टेडियम, नीमखेड़ा, जबलपुर में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में रैस्ट ऑफ एमपी 'ए', रैस्ट ऑफ एमपी 'क्क' और भोपाल संभाग की टीमें आपस में लीग मैच खेलेंगी।

जबलपुर के युवा खिलाड़ियों ने बनाया नाम

इस प्रतियोगिता के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाले सभी संभागों के खिलाड़ियों का चयन किया गया है। रैस्ट ऑफ एमपी 'ए' से सुमित सिंग (जबलपुर) रैस्ट ऑफ एमपी 'बी' से हर्ष मंगलानी, प्रतीक त्रिपाठी, सेजल भादे और कौशिक सिंग शामिल है।

जबलपुर क्रिकेट संघ ने दी शुभकामनाएं

इस उपलब्धि पर जबलपुर संभागीय क्रिकेट संघ के अध्यक्ष डॉ. निश्चित पटेल, सचिव सुशील रजक, और अन्य पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। संघ के पदाधिकारी टीम के हर खिलाड़ी की सफलता और मेहनत को सराहते हुए उनके लिए प्रेरणादायक संदेश भी देते रहे।

महिला डेंटल सर्जन व पति पर हमला

▶ क्लीनिक खोलने को लेकर हुआ विवाद

नवभारत, जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत स्प्रिंग डे स्कूल के पास क्लीनिक खोलने को लेकर उपजे विवाद के बाद एक महिला डेंटल सर्जन और उनके पति को धमकाते हुए ससुराल पक्ष ने धमकाते हुए हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट पर ससुर, सास, ननद और मामा ससुर के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक डॉ. निदा शरीन स्प्रिंग डे स्कूल के सामने निदा क्लीनिक का संचालन करती हैं। जब वह अपनी क्लीनिक का शटर खोल रही थीं। इसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाले मामा ससुर के बेटे तौसीफ अंसारी वहां पहुंचे और विवाद करने लगे। विवाद के दौरान पीड़िता के ससुर गफ्फार अंसारी, सास नाहिद परवीन और ननद नौशीन अंसारी भी मौके पर पहुंच गए। ससुर गफ्फार और तौसीफ ने डॉक्टर को धमकी देते हुए कहा कि आज तुझे जान से खत्म कर देंगे, तुझे क्लीनिक नहीं खोलने देंगे। इसके बाद ससुर ने डॉक्टर की बाईं आंख पर जोर से मुक्का मारा, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। वहीं, आरोपी तौसीफ ने धारदार हथियार से डॉक्टर के गले और कलाई पर वार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ीं। जमीन पर गिरने के बाद भी चारों आरोपियों ने मिलकर उनके साथ धक्का-मुक्की की और बाल पकड़कर घसीटा। जब डॉ. निदा के पति बीच-बचाव करने आए, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला बोल दिया। तौसीफ और नौशीन ने उनके साथ मारपीट की और धारदार हथियार से वार किया, जिससे उनके माथे, कोहनी और हाथ में चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद घायल दंपत्ति थाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया।

साहब ..थाने के चक्कर काट रहा हूं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही

5 .50 लाख की चोरी पुलिस के हाथ खाली

नवभारत, जबलपुर। खितौला थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 9 मुंडिटोरिया निवासी कपड़ा और मोबाइल व्यापारी के सूने घर से चोरों ने साढ़े पांच लाख रुपये नकद और पुश्तैनी जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया था। पीड़ित द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कर पुलिस को सौंपने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

पीड़ित आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और आरोप लगाया कि थाने के कई चक्कर काटने के बाद भी पुलिस केवल आश्वासन दे रही है। व्यापारी मोहम्मद इरफान ने बताया कि वे ईद का त्यौहार मनाने के लिए 20 मार्च 2026 की रात अपने परिवार के साथ गोसलपुर स्थित पैतृक निवास गए थे। अगले दिन सुबह जब उन्होंने मोबाइल पर घर के सीसीटीवी कैमरे चेक किए, तो घर के बाहर खड़ी नीले रंग की स्कूटी गायब मिली। जब वे आनन-फानन में घर पहुंचे, तो देखा कि ताले टूटे हुए थे और घर के अंदर रखे 5,50,000 रुपये नकद समेत कीमती सामान गायब था। पीड़ित ने स्वयं सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज और अपनी छानबीन के आधार पर आरोपी की पहचान राजकुमार रजक निवासी ग्राम सिमरा कला, तहसील रीठी जिला कटनी के रूप में की है। पीड़ित के अनुसार, आरोपी एक आदतन अपराधी है और उस पर अन्य थानों में भी मामले दर्ज हैं। पीड़ित का आरोप है कि वे खितौला पुलिस बल के साथ आरोपी के गांव सिमरा कला तक होकर आए हैं। आरोपी की पहचान पुख्ता होने के बाद भी थाना प्रभारी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि थाने के कई चक्कर काटने के बाद भी पुलिस केवल आश्वासन दे रही है। थाना स्तर पर सुनवाई न होने से हताश होकर मोहम्मद इरफान ने अब पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपी है। मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग है। साथ ही चोरी गया सामान बरामद कर वापस दिलाया जाए।

4 महीने पहले चोरी, सुराग नहीं

रांझी थाना अंतर्गत शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टाफ कॉलोनी में हुई चोरी के 4 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस चोरों का सुराग लगाने में नाकाम रही है। थक-हारकर पीड़ित ने अब पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। स्टाफ कॉलोनी के क्वार्टर नंबर बी 15 में रहने वाले धीरेंद्र कुमार चौकीकर के सूने मकान को चोरों ने पिछले साल 8 दिसंबर 2025 को निशाना बनाया था। चोरों ने घर का ताला तोड़कर कीमती सामान और नकदी पार कर दी थी। 120 दिन बीत जाने के बावजूद कोई सुराग नहीं लगा। एसपी कार्यालय पहुंचे धीरेंद्र कुमार ने अपनी शिकायत में कहा, शिकायत दर्ज कराए चार महीने हो गए हैं, लेकिन न तो सामान बरामद हुआ और न ही पुलिस ने किसी संदिग्ध को पकड़ा है।

अधिकारियों ने सुनी नागरिकों की समस्याएं

▶ जनसुनवाई में आए 116 आवेदन

नवभारत, जबलपुर। कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिये। साप्ताहिक जनसुनवाई में नागरिकों से कुल 116 आवेदन प्राप्त हुये। इनमें दोबारा आये 25 आवेदन भी शामिल थे। जनसुनवाई में आये ज्यादातर आवेदन छात्रवृत्ति, अतिक्रमण, नामांतरण, सीमांकन, आर्थिक सहायता, अनुग्रह सहायता, पीएम सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, पेंशन, लड़ाई-झगड़ा, आर्थिक सहायता आदि से संबंधित आवेदन थे। जनसुनवाई में सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

खुलेआम अहाता में देर रात तक छलक रहे जाम

अमरपुर नवभारत 7 अप्रैल। जिले के अमरपुर मुख्यालय में खुल्लेआम अवैध शराब का विक्रय किया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्रीय सौहार्द भंग हो रहा है तो वही आए दिन विवादित स्थितियां निर्मित हो रही हैं।

शाम ढलते ही मुख्यालय के अनेक स्थानों पर अवैध शराब की बिक्री होते हुए देखी जा सकती है, जबकि इस क्षेत्र में अधिकृत अंग्रेजी एवं देसी शराब दुकान संचालित नहीं है। बावजूद अमरपुर मुख्यालय में भारी मात्रा मैं शराब लाकर खपाई जा रही है, जिस पर अंकुश लगना जरूरी हो गया है। महिलाएं व युवतियां असुरक्षित महसूस कर रहीं हैं-लगातार अवैध शराब बिक्री क्षेत्रीय जनों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है तो वही शराब के नशे में मदहोश शराबियों के अमर्यादित शब्द क्षेत्रीय लोगों के लिए परेशानी बने हुए हैं। शराबियों की करतूत से महिलाएं, युवतियां एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जानकारों की माने तो अमरपुर मुख्यालय में लगभग 8 से 10 स्थान ऐसे हैं जहां सुबह से ही अवैध शराब की बिक्री शुरू हो जाती है। लगभग तीन ऐसे स्थान है जहां खुलेआम अवैध शराब बिक्री के साथ ही शराब परोसी जा रही है। इन अवैध अहाता पर शाम होते ही बड़ी संख्या में शराबी एकत्रित होकर जाम छलकाते हुए देखे जा सकते हैं। देर रात तक यहां शराबी अपनी महफिल गुलजार करते हुए जाम से जाम टकराते हैं।

पेटी में रखी नकदी चोरी

नवभारत, जबलपुर। कटंगी थाना अंतर्गत हरिओम नगर में एक घर में रखी पेटी से नकदी चोरी हो गई। पुलिस ने बताया कि राजकुमार चक्रवर्ती निवासी वार्ड नम्बर 4 हरिओम नगर कटंगी का घर में ताला लगाकर परिवार के साथ मेडिकल कॉलेज में भर्ती लड़के राहुल चक्रवर्ती को देखने गया था। वापिस आया तो दरवाजा में लगे ताले टूटे हुये थे कमरे में सामान बिखरा हुआ था बक्सा पेटी में रखे नगदी 10 हजार रूपये गायब थे।

पानी के विवाद पर दो पक्ष भिड़े

नवभारत, जबलपुर। तिलवारा थाना अंतर्गत सगड़ा में पानी भरने के विवाद पर दो पक्ष भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट पर काउंटर केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक श्रीमति मीना लोधी निवासी सगड़ा मंगलवार दोपहर लगभग 2 बजे घर पर काम कर रही थी तभी उसके घर पर लगे बोर से रीता लोधी पानी भर रही थी उसने रीता पटेल को अपने बोर से पानी भरने के लिये मना करते हुये कहा कि तुम अपना बोर खुद लगवा लो इसी बात पर रीता का पति सुनील विवाद करने लगा। रीता पटेल ने हाथ मुक्को से मारपीट कर दी। सुनील पटेल ने डण्डे से हमला कर चोट पहुंचा दी। वहीं श्रीमति रीता लोधी 32 वर्ष निवासी सगडा ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसका लड़का जय पटेल घर के आंगन में सटक लगाकर छत पर पानी भर रहा था तभी मीना लोधी ने उसके बेटे को पानी भरने से मना कर दी, उसने जाकर मीना से कहा कि पानी क्यो नहीं भरने दे रही हो तो उसके साथ मारपीट कर दी।

गांजा तस्कर को दबोचा

नवभारत, जबलपुर। पनागर पुलिस ने देवरीकला मे घेराबंदी कर गांजा बेचने घूम रहे हरिलाल कुशवाहा (45) निवासी देवरीकला पनगार को दबोचा। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुये 626 ग्राम गांजा जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ की जा रही है।

करंट का जाल बना बाघों का काल, लगातार हो रही मौतें

चिल्हारी नवभारत 7 अप्रैल। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और उमरिया वन मंडल में बाघों की लगातार हो रही अप्राकृतिक मौतों ने न केवल वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि देशभर में चर्चित इस टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर चिंता पैदा कर दी है। सोमवार 6 अप्रैल को उमरिया वन मंडल क्षेत्र में एक और बाघ की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। इस ताजा घटना के बाद बीते एक माह में करंट से मरने वाले बाघों की संख्या तीन तक पहुंच गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शिकारियों द्वारा जंगली सूअर एवं अन्य वन्यजीवों के शिकार के लिए अवैध रूप से बिछाए गए बिजली के तार इन घटनाओं की मुख्य वजह हैं।

चार बाघों की मौत करंट लगने से हो चुकी

बताया गया कि खेतों और जंगल की सीमाओं पर फैले इन करंट युक्त तारों में उच्च वोल्टेज प्रवाहित किया जाता है, जिससे कोई भी वन्यजीव संपर्क में आते ही गंभीर रूप से झुलस जाता है। यही जाल अब बाघों के लिए काल बनता जा रहा है। वन सूत्रों के अनुसार, उमरिया और पड़ोसी शहडोल वन मंडल में पिछले कुछ महीनों में कम से कम चार बाघों की मौत करंट लगने से हो चुकी है।

वर्ष 2026 में 16 दिनों में हुई थीं तीन बाघों की मौत

इसके अलावा वर्ष 2026 की शुरुआत भी चिंताजनक रही, जब महज 16 दिनों के भीतर तीन बाघों की मौत की घटनाएं सामने आई।

धर्मप्रकाश का निधन

नवभारत, जबलपुर। सी 4 सैनिक सोयासयटी निवासी मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के सेवानिवृत्त प्रमुख कम्प्यूटर ईडीपी मैनेजर धर्मप्रकाश का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सेवानिवृत्त मुख्य वित्तीय अधकारी चेतन जायसवाल व एलआईसी में कार्यरत उमेश जायसवाल के पिताजी थे। अंतिम यात्रा निवास स्थान से आज सुबह 9 बजे गौरीघाट मुक्तिधाम के लिए प्रस्थान करेगी।

न्यायालय नायब तहसीलदार गोरखपुर-1 जिला जबलपुर
रा.प्र.क्र./1993/अ-8/2025-26
जबलपुर, दिनांक

आम इश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता ग्राम गोरखपुर प.ह.नं. तहसील गोरखपुर-1 जिला-जबलपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती अरूणा ग्रोवर व अन्य पति स्व.श्री अरूण ग्रोवर निवासी-86/2/1426, नर्मदा रोड रतन कॉलोनी, फेस-1, जबलपुर के द्वारा ग्राम गोरखपुर बंदोबस्त नंबर 605 प.ह.नं. 29 में स्थित भूमि शीट नंबर 273, 274 प्लाट नं. 434/4 रकवा क्रमशः 5490 वर्गफुट/हेक्टेयर पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक दिनांक के माध्यम से क्रय कर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण हेतु इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण विचाराधीन हैं। तत्संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति लिखित में आपत्ति मय दस्तावेज पेशी दिनांक 10/04/2026 तक इस न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा अधिवक्ता के द्वारा पेश कर सकता है। पेशी अवधि व्यतीत हो जाने पर प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा। यह इश्तहार न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

जारी दिनांक- 26/03/2026
पेशी दिनांक- 10/04/2026
मोहर
नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी गोरखपुर, जबलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर (म.प्र.)
// द्वितीय निविदा सूचना //
N.I.T.No./PWD/e-tendering/PRO/31 Date : 07/04/2025
निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1.	2026_UAD_497672_1 Date-07/04/2026	सं.क्र.-05 अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 हेतु विभिन्न स्थानों पर सी.सी. सड़क, मरम्मत एवं अन्य कार्य। (निगम मद)	04 माह ₹.4.21 लाख	₹.2,000/- ₹.4210/-	17/04/2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
कार्यपालन यंत्री लोककर्म विभाग नगर निगम जबलपुर

पश्चिम मध्य रेल
क्र. जबल/सी/170/ई-ऑक्शन/विविध/26
दिनांक : 02.04.2026
वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक जबलपुर द्वारा IREPS पर पंजीकृत संस्थाओ से ई-ऑक्शन के माध्यम से सामान्य भुगतान और उपयोग वाले शौचालय का संचालन हेतु बोलियाँ आमंत्रित की जा रही है। ऑक्शन कैटेलाग को IREPS की वेबसाइट www.ireps.gov.in. पर प्रकाशित किया जा चुका है जबलपुर मंडल के आगामी ई-ऑक्शन का विवरण निम्नवत है। **श्रेणी** : पे एंड यूज, **कैटेलाग** : JBP-PayUse-MML, **एसेट विवरण** : मदन-महल में सामान्य भुगतान और उपयोग शौचालय का संचालन ।, **ऑक्शन प्रारंभ** : 16-04-2026 13:00 hrs, **ऑक्शन समापन** : 16-04-2026 13:30 hrs 1. बोलीदाताओ को सलाह दी जाती है किं ई-ऑक्शन से सम्बन्धितं जानकारी के लिए रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in. देखे।, 2. उक्त ई-ऑक्शन आई. आर. ई.पी.एस. (IREPS) के ई-ऑक्शन मोड्यूल के माध्यम से आमंत्रित किया गया है।, 3. ई-ऑक्शन सम्बन्धित समस्त जानकारी जैसे पात्रता, कार्य का दायरा, ठेके की अवधि, नियम एवं शर्ते आदि आई. आर. ई.पी.एस. (IREPS) की वेबसाइट www.ireps.gov.in. पर उपलब्ध है।, 4. बोलीदाता IREPS में उल्लेखित दिनांक एवं समय के अनुसार ही ई-ऑक्शन में भाग ले सकते है।, 5. सभी संभावित बोली दाताओ से अनुरोध है कि ई-ऑक्शन से सम्बन्धित किसी भी शुद्धिपत्र हेतु नियमित रूप से रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in. का अवलोकन करते रहे ।
हस्ता.
कृते मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर
स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

पश्चिम मध्य रेल
सामग्री प्रबंधन विभाग
(भंडार आपूर्ति हेतु ई- निविदा सूचना, संख्या/ईपीएस/01/2026)
प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई-खरीद प्रणाली के जरिए निम्नलिखित विज्ञापन निविदाएं आमंत्रित करते है। कोई भी हस्तलिखित/डाक प्रस्ताव स्वीकार नही किए जाएंगे। पूर्ण विवरण/विनिर्देशन के लिए वेबसाईट https://ireps.gov.in पर 'ई' निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त की सकती है।

क्र.	टेंडर नं.	संक्षिप्त वर्णन	निविदा मात्रा	नियत तारीख
1	38261918B	केवल असेंबली फॉर हैंड ब्रेक अरेंजमेंट	3211 नंबर्स	22/04/2026
2	40252014A	सील्ड मेंटनेंस फ्री बैटरी 12V, 42 AH	1413 नंबर्स	27/04/2026
3	38254120A	पोली लाइनिंग टॉप & बॉटम	24717 सेट्स	29/04/2026
4	80261157	सप्लाई ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस	33333 किग्रा.	05/05/2026
5	38261586	कौपलेर Yoke फॉर CBC	1292 नंबर्स	06/05/2026
6	50264007	रेड आस्पेक्ट मैन LED सिग्नल 110V AC	459 नंबर्स	06/05/2026
		ग्रीन आस्पेक्ट मैन LED सिग्नल 110 वोल्ट AC	188 नंबर्स	
		येलो आस्पेक्ट मैन LED सिग्नल 110V AC	357 नंबर्स	
7	38262421	कास्ट स्टील साइड फ्रेम फॉर 22 HS बोगीज	85 नंबर्स	07/05/2026
8	38262182	ब्रेक वियर प्लेट फॉर CASNUB बोगीज	48307 नंबर्स	12/05/2026
9	30261271	वाटर टैंक आसेंबली (455 Lts.) Two पीस डिजाइन	158 नंबर्स	12/05/2026
10	65255014	सप्लाई ऑफ 03 Nos टर्बो Charged ट्रक	03 नंबर्स	29/05/2026

50 लाख रूपये से कम अनुमानित मूल्य वाली निविदाओं के लिए इच्छुक फर्मों को www.ireps.gov.in पर जाने की सलाह दी जाती है। (हस्ता)
कृते प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर
स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

CENTRUM Home Loans — Aao milkar ghar banaye
कॉर्पोरेट एवं रजिस्टर्ड ऑफिस : यूनिट नं. 801, सेन्ट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई- 400098, CIN No. U65922MH2016PLC273826
ब्रांच पता- सेन्ट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आफिस नं. मकान नं. 821, डी.एन. जैन कॉलेज के सामने, गोल बाजार, जबलपुर-482002 मध्यप्रदेश

परिशिष्ट- IV -ए
(नियम 8 (6) और 9 (1) के परंतुक देखें
नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत उधारकर्ता/ऋणकर्ताओं से देय राशि की वसूली हेतु नीचे उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो भौतिक कब्जे में है, की खरीद के लिए सीलबंद लिफाफों में 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो है' के आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :-

क्र.	देनदारों/सह देनदारों/गारंटरों का नाम / लोन एकाउंट नं./ब्रांच	कुल बकाया की तिथि	अचल संपत्ति का विवरण	रिजर्व मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी) 10 प्र.श.
1.	कृष्णा सोनी और सुरेश कुमार सोनी JLRJL19003393	रुपए 7,58,488/- (रु. सात लाख अट्ठावन हजार चार सौ अठासी मात्र) दिनांक 09-12-2021	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और हिस्से में, पता- मौजा अमखेरा, एनबी नं. 4, पीएच नं. 24/22, न्यू 80, खसरा नं. 14,15, निजी लेआउट प्लॉट नं. 80, तहसील पनागर, जिला जबलपुर, जबलपुर-482001, जबलपुर, मध्य प्रदेश. नीचे दी गई सीमाओं के अनुसार- प्लॉट संख्या 81, प्लॉट संख्या 79, खरे जी रोड की भूमि	रुपये 7,00,000/- (रुपये सात लाख मात्र)	रुपये 70,000/- (रुपये सत्तर हजार मात्र)

1. नीलामी 'जहाँ है जैसी है' और 'जो है जैसी है' के आधार पर आयोजित की जा रही है. 2. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें निर्धारित निविदा प्रपत्र में शामिल हैं, जो उपर्युक्त शाखा कार्यालय में उपलब्ध है. 3. निर्धारित निविदा प्रपत्रों में सीलबंद बोली/प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि, 'सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्रॉफ्ट के माध्यम से देय ईएमडी के साथ, केवाईसी के साथ, 28-4-2026 को सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर जमा करनी होगी. जो निविदाएँ पूरी तरह से नहीं भरी गई हैं या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुई हैं, उन्हें अमान्य माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा. ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. 4. अचल संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 27-4-2026 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक है. 5. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव नीलामी खोलने की तिथि 29-4-2026 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक उपर्युक्त शाखा कार्यालय के पते पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक है. 6. क्रेता लागू स्टाम्प शुल्क / अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क / हस्तांतरण शुल्क, शुल्क आदि और साथ ही सभी वैधानिक बकाया, कर, दर मूल्यांकन, सरकारी और अर्ध सरकारी वहन करेगा. नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में कर, टीडीएस और अन्य शुल्क, शुल्क आदि. ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्ति का कब्जा सीएचएफएल के पास है, जो उपरोक्त के अनुपालन पर सफल बोलीदाता को शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देगा. इच्छुक बोलीदाता को संपत्ति के ऋणभार शीर्षक के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए और खुद का निरीक्षण और संतुष्ट होना चाहिए. 7. संपत्ति को उनके नाम पर स्थानांतरित करने के लिए अन्य सभी खर्च और वैधानिक बकाया, यदि कोई हो, सफल क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा. 8. उच्चतम बोली लगाने वाला सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगा. प्राधिकृत अधिकारी इस प्रकार प्राप्त किसी भी प्रस्ताव/बोली को बिना कोई कारण बताए स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा. उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा. 9. ऋणी/गारंटर को एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 30 दिन का विक्रय नोटिस दिया जाता है. नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिए. ऐसा न करने पर अचल संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी. यदि ऋणी बिक्री की तिथि से पूर्व सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देय राशि का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो नीलामी रद्द कर दी जाएगी. अधिक जानकारी के लिए, उपरोक्त कार्यालय पते पर प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें. संपर्क व्यक्ति - 1. श्री अंकित विग - 8668943242 I 2. श्री प्रशांत सोनी - 8461809049.

स्थान- मध्यप्रदेश
दिनांक- 8-4-2026
हस्ता./-
अधिकृत अधिकारी
सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड